कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

कोराना महामारी (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु लॉक डाउन के कारण कक्षा क्रमोन्नति प्रावधानों में सत्र 2019–20 हेतु एकबारीय शिथिलन प्रदान करते हुए, उक्त सत्र में कक्षा 9 एवं 11 में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को एतद् द्वारा आगामी कक्षा क्रमशः– कक्षा 10 एवं कक्षा 12 में क्रमोन्नत करने का निर्णय लिया गया है। इस क्रम में संबंधित संस्था प्रधान निम्नांकित निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराएंगेः–

1. सत्र 2019–20 में कक्षा 9 एवं 11 में नियमित अध्ययनरत् विद्यार्थियों को उनके समग्र मूल्यांकन, के आधार पर आगामी कक्षा में क्रमोन्नत किया जाना है। इस हेतु संस्था प्रधान द्वारा सत्र 2019–20 में विद्यार्थी के अब तक के समग्र मूल्यांकन यथा– तीनों परखों, अर्द्धवार्षिक परीक्षा, सहशैक्षिक गतिविधियों में भागीदारी तथा सत्र में विद्यार्थी के समग्र प्रदर्शन को आधार बनाया जाएगा।
2. विद्यार्थी की आगामी कक्षा 10/12 में क्रमोन्नति के लिये कक्षा 9/11 में भारांक प्रतिशत निम्नानुसार होगा :–

क्र.सं.	विषय	प्रत्येक विषय हेतु निर्धारित पूर्णांक	अकादमिक भारांक प्रतिशत		सह शैक्षिक गतिविधि एवं सत्र में विद्यार्थी के समग्र प्रदर्शन हेतु भारांक प्रतिशत	विद्यार्थी द्वारा अर्जित प्राप्तांक
			अर्द्धवार्षिक परीक्षा के भारांक	तीनों परख के भारांक		
		100	50	20	30	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=4+5+6)

उदाहरणार्थ किसी विद्यार्थी के हिन्दी विषय में अर्द्धवार्षिक परीक्षा में पूर्णांक 70 में से प्राप्तांक 30 है और तीनों परख में पूर्णांक 30 में से प्राप्तांक 15 हैं तथा सहशैक्षिक गतिविधि एवं सत्र में विद्यार्थी के समग्र प्रदर्शन हेतु प्रदत्त अंक 25 हो, तो भारांक की गणना निम्नानुसार की जाएगीः–

क्र.सं.	विषय	प्रत्येक विषय हेतु निर्धारित पूर्णांक	अकादमिक भारांक प्रतिशत		सह शैक्षिक गतिविधि एवं सत्र में विद्यार्थी के समग्र प्रदर्शन हेतु प्राप्तांक	विद्यार्थी द्वारा अर्जित प्राप्तांक
			अर्द्धवार्षिक परीक्षा के भारांक	तीनो परख के भारांक		
		100	50	20	30	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=4+5+6)
1	हिन्दी	100	30×50/70= 21.4=22	15×20/30 =10	25	57

इसी अनुरूप प्रत्येक विषय का आकलन किया जाना है।

3. उपर्युक्तानुसार समग्र आंकलन कर कक्षा 9 एवं 11 के समस्त विद्यार्थियों को आगामी कक्षा क्रमशः 10 एवं 12 में क्रमोन्नत किया जाएगा।

Scanned with CamScanner

4 लॉक डाउन समाप्ति के उपरांत विद्यालय संचालन पुनः प्रारम्भ होने पर संबंधित संस्था प्रधानों द्वारा सत्र 2019–20 में अध्ययनरत कक्षा 9 एवं 11 के समस्त विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में पृथक से क्रमोन्नति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जो कि संबंधित कक्षा के लिये क्रमोन्नति पात्रता हेतु मान्य होगा।

5 कक्षा 9 एवं 11 में क्रमोन्नत समस्त विद्यार्थी स्वतः ही आगामी कक्षा में प्रवेशित माने जाएंगे । इन विद्यार्थियों के कक्षा क्रमोन्नति का कार्य **ऑनलाईन शालादर्पण पोर्टल** के माध्यम से सुनिश्चित किया जावे।

6 इन क्रमोन्नत विद्यार्थियों द्वारा **SMILE** (Social Media Interface for Learning Engagement) कार्यक्रम के माध्यम से आगामी कक्षा की अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराते हुए ऑनलाइन अध्ययन कराया जाएगा।

6 उक्त शिथिलन एवं प्रावधान केवल सत्र 2019–20 के लिये ही लागू होंगे।

संलग्नः– क्रमोन्नति प्रमाण–पत्र का प्रारूप।

(सौरभ स्वामी)
आइ.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–माध्य / मा–स / 22497 / 2017–18 दिनांकः– 10.04.2020

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3 निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4 शासन उप सचिव–प्रथम, शिक्षा (ग्रुप–1) राजस्थान, जयपुर को कार्योत्तर स्वीकृति हेतु।
5 सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
6 समस्त संभागीय सयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को प्रभावी प्रबोधन हेतु।
7 प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
8 समस्त मुख्य जिला / ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को क्षेत्राधिकार में प्रभावी प्रबोधन हेतु।
9 समस्त जिशिअ (मुख्यालय)–माध्यमिक।
10 समस्त संस्था प्रधान– माध्यमिक एवं उमावि को प्रेषित कर पाबंद किया जाता है कि संबंधित विद्यार्थियों का आगामी कक्षा में प्रवेश सुनिश्चित कराते हुए शाला–दर्पण पर क्रमोन्नति की प्रविष्टि करें।
11 सहायक निदेशक, शालादर्पण / छात्रवृत्ति / समाज शिक्षा, कार्यालय हाजा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12 सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

Scanned with CamScanner

विद्यालय का पूरा नाम –..

क्रमोन्नति प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ....(विद्यार्थी का नाम) पुत्र/पुत्री .... (पिता का नाम) एवं ....(माता का नाम) जन्मतिथि .... वर्ग– ....(समान्य/पिव/अजा/अजजा/अतिपिव/अल्पसंख्यक), S.R. No. ...., सत्र 2019–20 में इस विद्यालय की कक्षा 9/11 में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत रहा/रही है। उक्त ....(विद्यार्थी का नाम) को निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांकः–शिविरा–माध्य/मा–स/22497/2017–18 दिनांक–10.04.2020 के अनुसरण में आगामी कक्षा 10/12 में क्रमोन्नत किया जाता है।

दिनांकः

(संस्थाप्रधान के हस्ताक्षर मय नाम एवं मोहर)

यू–डाईस कोडः...

Scanned with CamScanner